न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2014

1. गुरनामसिंह पुत्र अरजनसिंह जाति मजहबी निवासी 20 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर –मृतक

1/1 बलविन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह
1/2 जितेन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह
1/3 हरजिन्द्रकौर पत्नी गुरनामसिंह
} जाति मजहबी निवासी 20जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर

1/4 दपिन्द्र कौर पुत्री गुरनामसिंह पत्नी वकील सिंह जाति मजहबी निवासी चक 20 जैड हाल आबाद चक 5 के.के. बुटरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

1/5 सुखजीत कौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी केवल सिंह मजहबी निवासी 20 जैड हाल आबाद अजीतवाल तहसील व जिला मौगा पंजाब।

2. बलजीत सिंह पुत्र अरजन सिंह जाति मजहबी निवासी 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. चनन कौर | पि. सुबा सिंह
2. पूर्णसिंह
3. बहादुरसिंह
4. जगत सिंह | पि. तेजासिंह
5. भगत सिंह

} जाति मजहबी निवासीगण 21 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. महेन्द्र कौर पुत्री अरजनसिंह
7. गुरजीत कौर पुत्री मानसिंह जाति मजहबी निवासी 28 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह जाति मजहबी निवासी 20 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

9. कृष्णा पुत्री ज्ञान सिंह पत्नी मुंशा सिंह जाति मजहबी निवासी खुबण तहसील अवोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
10. सन्दीप कौर पुत्री ज्ञान सिंह पत्नी जिन्दा सिंह मजहबी निवासी प्रेम नगर ,नजदीक बस अडडा रा0रा0प0निगम, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
11. सरजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मजहबी निवासी चक 16 के एन डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
12. सुखजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति मजहबी निवासी चक 16 के एन डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू– राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगागनर

दिनांक 26.09.2013

उपस्थितिः–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 26.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद दिनांक 26.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा चक 21 जैड के मु.नं. 30, 34, 37 की 9.320है0 भूमि की सनद अरजनसिंह, बलवन्त कौर , चनन कौर , तेजा सिंह , नरंजन कौर, सुबा सिंह , जसवंत कौर , प्रीतम कौर , इन्द्रकौर व महेन्द्र कौर के नाम से जारी की गई है।

रेस्पों. को जरिये रजि. सम्मन एवं समाचार पत्र के माध्यम से तलब किया गया था लेकिन उनकी और से कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में वकील अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई।

26/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अरजन सिंह को बतौर नोन क्लेममेंट भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई है एवं तमाम राशि भी आवंटी द्वारा जमा करवायी गई है। अधी. न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के मृतक व्यक्ति के विरूद्ध सनद जारी की है एवं मु.नं. 34 के कि.नं. 24 व 25 की भूमि रकबा राज घौषित की है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड से अरजन सिंह के नाम से आवंटित होना अधी. न्यायालय के समक्ष तथ्य मौजूद था मगर इस पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद रेस्पों. सं. 1 से 5 का इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता। विवादित भूमि अरजनसिंह को आवंटित होने के कारण अरजनसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के नाम से ही सनद जारी होनी चाहिए थी। इसके अलावा आवंटन आदेश में जिनका नाम था उन्हीं के नाम से सनद जारी होनी चाहिए थी। बेसिक रजिस्टर में जिनके नाम है उनके नाम से सनद जारी नहीं हो सकती। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 1992 पेज 611 की नजीर पेश की। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने , बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

26/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.09.2013 के विरूद्ध दिनांक 07.02.2014 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. ने उपस्थित नहीं होकर खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय द्वारा सनद दिनांक 26.09.2013 के विरूद्ध पेश की है जिसमें मुख्य आपत्ति है कि कुल 18 व्यक्तियों के नाम से जारी सनद क्रमशः अरजनसिंह, बलवन्तकौर, जसवन्तकौर, ज्ञान सिंह , मान सिंह, तेजा सिंह व सुबा सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः मृत व्यक्तियों के नाम जारी सनद विधि विरूद्ध है। अपील का दूसरा सार बिन्दु यह है कि मूल आवंटी अरजन सिंह पुत्र मेहर सिंह पाक विस्थापित होकर उसे Non-claimat के आधार पर चक 21 जैड के मु.नं. 41 व 45 की 37.16 बीघा भूमि आवंटित होकर भारत सरकार एवं अरजन सिंह के मध्य हुए इकरार के अनुसार समस्त पत्राचार अरजनसिंह के नाम होकर भूमि की कीमत जमा करने के मांग पत्र भी अरजनसिंह के नाम जारी हुए हैं।

चुंकि पाक विस्थापितों को भूमि आवंटन का आधार परिवार के सदस्यों की संख्या (जीवों) के आधार पर 5 से ज्यादा जीव होने पर 37.10 बीघा भूमि आवंटन की पात्रता बनती है जो आवंटन होकर इसी अनुरूप अकेले अरजन सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि अधी. न्यायालय ने सनद जारी करते वक्त बेसिक रजिस्टर की नकल कर बेसिक रजिस्टर में दर्ज सभी व्यक्तियों के नाम सनद जारी कर दी जबकि बेसिक रजिस्टर में दर्ज नाम अरजन सिंह को की जाने वाली आवंटित भूमि की गणना का आधार थी न कि सनद जारी करने के लिये। अतः भूमि अरजनसिंह को आवंटन पश्चात उसके नाम दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के पश्चात अरजनसिह की मृत्यु उपरांत कृषि भूमि राज.

26/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

काश्त.अधि. की धारा 40 के प्रावधानुसार devolve योग्य है न कि बेसिक रजिस्टर के इन्द्राज अनुसार सनद जारी की जावे। इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धांत 1992 आर.आर.डी. पेज 611 प्रकरण हाजा पर चस्पा होती है।

अपील दर्ज रजिस्टर के पश्चात रेस्पों. को रजि.एडी सम्मन से तलब किया गया जो बाबजूद तामिली अनुपस्थित रहे तत्पश्चात सूचना अखवार में प्रकाशित की गई जिसकी प्रति इस न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल है।

अतः अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 17(2) के तहत एकपक्षीय सुनी जाकर निर्णय योग्य है। अपीलांट का कथन कि सनद मृतक व्यक्तियें के नाम से जारी की गई है जो विधि विरूद्ध है अरजनसिंह के नाम दर्ज आराजी उसकी मृत्यु उपरांत राज.काश्त.अधि. की धारा 40 के अनुसार devolve योग्य है के तर्कों से सहमत होकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय द्वारा जारी सनद आदेश दिनांक 26.09.2013 खारिज किया जाता है तथा संशोधित सनद अरजनसिंह के विधिक वारिसान के नाम जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

26/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर